

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

पत्र

भगवानाराम

वनाय

रिहपाल साहि

स मुकदमा

दावा

मु. नं.

28/2011

वर्ष

2011

आज्ञा - पत्र

के मुख्य स्वयंसेवक नं. 654 व 868 में कार्य
 प्रदर्शित है तथा अन्य स्वयंसेवक नं. के पत्रकारों के
 मुख्य कार्य नहीं होने पर वारि मिले पत्र
 वा. 3055 के द्वारा आ. 01/11। विभाजन
 प्रस्ताव के पत्रकारों के अपने स्थानों पर
 पर पहुंच हेतु 14 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित
 आ है जो कि शहीद क्षेत्र के वृद्धि को
 उपयुक्त है। तदनुसार शहीद क्षेत्र के
 विभाजन प्रस्ताव पत्रकारों की कार्य नहीं
 होने के कारण पत्रकारों की उपस्थिति के
 वारि मिले पत्र वा. 3055 के आधार पर
 विभाजन प्रस्ताव तैयार आ है अतः उपरोक्त
 विवेचन के आधार पर वादी की उम्मीदों
 प्रस्ताव आ प्रति विभाजन प्रस्ताव कार्यालयों के
 के स्थापित है जारी है। तथा वाद वादीओं
 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव नं. 35/24/1
 3188 दिनांक 11/11/2004 अतिरिक्त डीपी आ
 जारी है। विभाजन प्रस्ताव अतिरिक्त निर्दिष्ट
 डीपी का माग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव
 राजस्व विभाग में अगल परामर्श है। डीपी पर
 जारी है। पत्रकारों के अगल परामर्श लेकर नरेश्वर
 के मत को संश्लेषित पत्र है।

सहायक कलक्टर II
 सीकर

निर्दिष्ट आदेश नं. 15/11/2005 के
 मु. नं. - मामला नं. के अनुसार आ.

सहायक कलक्टर II
 सीकर

